

17.11.25

का पत्र है

अपर कलक्टर, नागौर

जाली के निवेदन पर

उत्तरांचल राज्य
पञ्जाब

9/1/24

काज पेश हुई वरुदा उपा. जाली के
 ज. पञ्जा प्रान्त का जाली कंपनी व
 अजाधी सं.। के मध्य राजीनामा हो
 जाने से प्रकरण को जरिये विज्ञापन
 क्रियाओं करने का निवेदन किया
 पञ्जाबी का इवलोकन किया गया
 प्रकरण जरिये विज्ञापन खारिज
 किया जाता है पञ्जाबी के कल
 शुमार हो गैर से दफ्त होकर
 साक्षिक दफ्तार हो

अपर कलक्टर, नागौर